



वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-10



राजस्थान सूचना आयोग

हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान परिसर, जयपुर

विषय सूची

अध्याय संख्या	विषय	पृष्ठ
1.	प्रस्तावना	1–2
2.	अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ	3–5
3.	अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियम	6–7
4.	राजस्थान सूचना आयोग का गठन, संगठनात्मक ढांचा, बजट एवं अन्य सूचनाएं	8–21
5.	अधिनियम का क्रियान्वयन	22–24
6.	संप्रेषण	25–27
7	परिशिष्ट –1	28–32

प्रस्तावना

सूचना के अधिकार को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफल संचालन हेतु अत्यन्त प्रासंगिक व आवश्यक माना गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की मूल प्रस्तावना में ही कहा गया है कि 'सूचित नागरिकता' व 'सूचना की पारदर्शिता' प्रभावी लोकतंत्र हेतु इसलिए अपेक्षित है कि इससे प्रशासन में भ्रष्टाचार को मिटाते हुए अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य संचालित हो सकेंगे। प्रस्तावना में यह भी बताया गया है कि वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटीकरण को लेकर सार्वजनिक हितों को नुकसान पहुँचाने का जो अर्थ है, उसे लेकर इस अधिनियम के माध्यम से, उसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में परिवर्तित किया जा सकेगा तथा यही वातावरण आगे जाकर प्रशासन को अपेक्षाकृत कुशल कार्य करने, सीमित राजस्व संसाधनों का अधिकाधिक प्रयोग करने तथा संवेदनशील सूचना का परीक्षण कर उचित निष्कर्ष निकालने में अधिक कारगर सिद्ध होगा। प्रशासनिक सुधार आयोग ने अधिनियम को प्रशासन के ताले की चाबी माना है।

शासन में जन-जन की भागीदारी सफल लोकतंत्र का मूलमंत्र है। जन सहभागिता एक ओर जहाँ शासन की गुणवत्ता में वृद्धि करती है, वहीं उसके दैनन्दिन कार्यकलापों में पारदर्शिता व जवाबदेही को बढ़ावा देती है। प्रश्न यह है कि जन सहभागिता हो कैसे? साधारण जनता कैसे समझे कि सरकार उनका पैसा कैसे खर्च कर रही है, सार्वजनिक योजनाएँ कैसे चलाई जा रही है, सरकारी फ़ैसले ईमानदारी व निष्पक्षता से किये गये हैं, अथवा नहीं? यहीं आवश्यक हैं सभी नागरिकों को सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार। अधिनियम से यह मान्यता सरकार द्वारा प्रतिबद्धित हुई कि भारत जैसे लोकतंत्र में सभी कार्य कलाप एवं लेखा-जोखा नागरिकों के लिए वैधानिक व्यवस्था बन गई है। अतः आम जनता को सूचना उपलब्ध कराना कामकाज का एक सामान्य कार्य है। हाल के वर्षों में सूचना के अधिकार को सरकारी, गैर सरकारी संगठनों व आम जनता द्वारा मान्यता देने की दिशा में एक विश्वव्यापी प्रवृत्ति बनी है। नागरिकों को सार्वजनिक नीतियों तथा सरकारी एजेन्सियों द्वारा उनके क्रियान्वयन सम्बन्धी सूचना प्राप्त होने से समाज सशक्त हुआ है।

भारत में सरकारी संस्थाओं के कामकाज में गोपनीयता प्रभावी तौर पर व्याप्त रही है। इस अधिनियम के बनने से दिशा/भावना एवं मानसिकता में परिवर्तन हुआ है। शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 में सूचना को सार्वजनिक करना एक दण्डनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया था,

उसे सूचना के अधिकार का अधिनियम द्वारा प्रभावहीन कर दिया है। पूर्व में सूचना उपलब्ध कराना एक अपवाद होकर सम्बन्धित अधिकारियों की इच्छाओं पर निर्भर था, इस अधिनियम के उपरान्त आम नागरिकों को शासन व विकास सम्बन्धी विषयों पर जानकारी का अधिकार प्राप्त हुआ है। सूचनाओं तक पहुँच के कारण खराब नीति निर्माण प्रक्रिया को उजागर करने में मदद मिलेगी, जिससे भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में नवजीवन का संचार होगा।

सूचना के अधिकार के लिए 1990 के दशक से अभियान चलाया जा रहा था। वर्ष 2004 में केन्द्रीय सरकार ने सूचना के अधिकार को अधिक “ प्रगतिशील सहभागिता आधारित और सार्थक ” बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया, जिसमें राष्ट्रीय सूचना अधिकार जन अभियान के मुख्य समर्थकों को शामिल किया गया। उनकी प्रस्तुतियों के आधार पर अगस्त 2004 में सूचना स्वतंत्रता अधिनियम में संशोधनों की सिफारिशें सरकार को सौंपी गईं। इसी वर्ष संसद में सूचना अधिकार विधेयक पेश हुआ। 11 मई, 2005 को लोकसभा ने इस विधेयक को पारित किया। 12 मई, 2005 को संसद द्वारा पारित होकर दिनांक 15 जून, 2005 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। अधिनियम की धाराएँ 4(1), 5(1)(2) तथा 12,13,15,16,24,27 व 28 अविलम्ब प्रभाव में आ गईं, जबकि शेष धाराएँ 12 अक्टूबर, 2005 से देश भर में प्रभावी हुईं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, केन्द्र सरकार, सभी राज्य सरकार, स्थानीय शहरी निकाय, पंचायती-राज संस्थाएँ, तथा उन सभी निकायों जो सरकार के स्वामित्व या उसके द्वारा स्थापित, गठित, नियंत्रित अथवा वित्तपोषित गैर सरकारी संगठन हैं, पर लागू हो गया है। कतिपय न्यूनतम अपवादों के साथ सूचना प्राप्त करने हेतु व्यापक प्रावधान किए गए हैं। जिन सूचनाओं को उपलब्ध कराये जाने से जनहित को नुकसान पहुँच सकता है, उन सूचनाओं को देने से मुक्त रखा है। सूचना का अधिकार एक मूलभूत व संवैधानिक अधिकार बन गया है, जिसे इस अधिनियम ने विधिक रूप से प्रभावी बनाया है।

अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ

गोपनीयता के अंधेरों से निकलकर पारदर्शिता के उजाले की ओर ले जाने वाले इस प्रयास, जिसे अब हम “सूचना का अधिकार अधिनियम” के नाम से पुकारते हैं, का स्थापन वर्ष 2005 की 15 जून को जम्मू व कश्मीर राज्य को छोड़ कर सम्पूर्ण भारतवर्ष में हुआ। अधिनियम ने नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त कर, भारतीय संविधान की मूल भावना " We the people of India " कथन को प्रशासनिक रूप से व्यावहारिक बनाने का प्रयास किया है। अतः इसे भारतीय नागरिक के “जीवन जीने व स्वतन्त्र के संवैधानिक अधिकार” को आगे बढ़ाने का एक माध्यम माना जा रहा है। अधिनियम की कुछ मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित रूप में हैं :-

सूचना आयोग :-

प्रथम यह कि लोक प्राधिकारी के कार्यालय एवं उसके अधीन सूचना तक नागरिकों की पहुँच हेतु, अधिनियम के तहत एक शासन पद्धति स्थापित की गई है जिसे केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग गठित किया जाकर मूर्तरूप दिया गया है। प्रत्येक आयोग एक वैधानिक संस्था के रूप में कार्य करेगा, इसे दी हुई शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा नियम के अन्तर्गत इसे सौंपे गये कार्यों का निष्पादन करेगा। आयोग के क्रियाकलापों सम्बन्धी सामान्य अधीक्षण, निर्देशन एवं प्रबन्धन की शक्तियाँ मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होंगी। शिकायतों की जाँच हेतु सम्बन्धित पक्ष को बुलाने, रिकॉर्ड को तलब करने आदि हेतु आयोग में सिविल न्यायालय की शक्तियाँ निहित की गई हैं।

स्वैच्छिक प्रकाशन :-

इसके प्रभावी होने पर सभी लोक प्राधिकारियों को अधिनियम के प्रकाशन के 120 दिवसों की समयबद्ध अवधि में 17 सूत्रीय सूचनाओं को (धारा 4-ए के तहत) प्रकाशित करनी होगी। इसमें रिकार्ड्स का तैयार होना, उसका कम्प्यूटरीकरण कर नेट प्रणाली से इस प्रकार जोड़ा जाना है कि प्रत्येक नागरिक की उस तक पहुँच सम्भव हो। सूचना जन-जन तक आसानी से पहुँचे, सम्बन्धित प्रक्रिया में विभिन्न माध्यमों – समचार पत्रों, नोटिस बोर्डों में प्रकाशन के साथ ही जनता के बीच घोषणाओं व टी.वी., रेडियों आदि में प्रसारण से दर्शाने की कार्यवाही की गई है। स्वैच्छिक प्रकटीकरण को प्रति वर्ष अद्यतन करने का भी प्रावधान है।

सूचना अधिकारियों का पदनामित करना :-

प्राधिकरणों द्वारा नागरिकों को अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त मात्रा में लोक सूचना अधिकारी पदनामित किये जाने का प्रावधान है। उनके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपमण्डल स्तर तथा उपजिला स्तर पर पदनामित किये जाने का प्रावधान, जो नागरिकों की लम्बी दूरियाँ तय न करनी पड़े, के कारण किया गया है। सहायक लोक सूचना अधिकारी प्राप्त आवेदन को सार्वजनिक सूचना अधिकारी को भेजने के लिये उत्तरदायी बनाया गया है। अधिनियम की धारा 19 के अर्न्तगत प्राधिकरणों द्वारा अपील अधिकारी भी पदनामित किये जावेगे।

आवेदन :-

नागरिक को सूचना प्राप्त करने के कारण, उद्देश्य आदि से किसी प्रकार के प्रकटन न करने की छूट दी गई है। अधिनियम का फलक अत्यन्त व्यापक है, जिसके अर्न्तगत सरकार द्वारा स्थापित, गठित, स्वामित्व में, नियंत्रित अथवा सरकार द्वारा वित्त पोषित गैर-सरकारी संगठनों सहित सभी निकाय सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा में सम्मिलित हैं। एक विशेष प्रावधान यह भी है कि पक्षेतर व्यक्ति के बारे में सूचना देने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर दिया जावेगा।

समयबद्धता :-

अधिनियम में समयबद्धता का प्रावधान किया गया है :-

- (क) लोक सूचना अधिकारी को 30 दिन का समय सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रतिपादित किया गया है।
- (ख) लोक सूचना अधिकारी यदि 30 दिन के बाद सूचना देता है तो वह नागरिक से फीस लेने का अधिकारी नहीं है।
- (ग) प्रथम अपीलीय अधिकारी यदि 30 दिन में अपील का निर्णय नहीं करता (जिसमें 15 दिन की बढ़ोतरी समुचित कारणों से की जा सकती है) तो नागरिक सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(घ) यदि आवेदन किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकारी से सम्बन्धित हो तो प्राप्ति के 5 दिनों के भीतर आवेदन सम्बन्धित सार्वजनिक प्राधिकारी को अन्तरित किये जाने का प्रावधान है।

दण्डारोपण :-

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दायर शिकायत या अपील पर निर्णय देते समय आयोग देरी से सूचना देने, सूचना को खुरद-बुर्द करने, रूकावट डालने आदि के आरोपों के दोषी लोक सूचना अधिकारी पर रू. 250/- प्रतिदिन की दर से दण्डारोपण कर सकता है जो राशि अधिकतम 25,000/-रुपए तक हो सकती है। सूचना न देना, समय पर न देना, गलत अधूरी या भ्रामक सूचना देना, सूचना को नष्ट करना या सूचना देने में बाधा उत्पन्न करना अधिनियम के तहत दोषयुक्त व्यवहार की परिभाषा में आते हैं। दोषी के विरुद्ध आयोग को अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु संस्तुति के अधिकार का भी प्रावधान किया गया है।

नियम बनाने तथा अधिनियमों का प्रभाव :-

अधिनियम के तहत केन्द्र / राज्य सरकार तथा सक्षम प्राधिकरणों को अधिनियम को संचालित करने हेतु स्वयं नियम बनाने की शक्तियां प्रावधित की गई हैं, यह भी प्रावधित किया गया है कि यदि कोई कानून, जिसमें शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 भी प्रावधित है, सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुरूप नहीं है तो सूचना का अधिकार अधिनियम ही प्रभावी माना जावेगा। अधिनियम के अन्तर्गत आदेश को किसी न्यायालय में किसी मुकद्दमे, आवेदन या अन्य कार्यवाही से मुक्त रखा गया है।

आज के वैज्ञानिक युग में जब सूचना तन्त्रों का बहुत विकास हो चुका है एवं समाज स्वयं ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहाँ सूचना उन्हें कई साधनों से प्राप्त हो रही है, वहीं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अपनी प्रसिद्धि, जन मानस में स्वयं बना रहा है। इस अधिकार को गाँव-गाँव, ढाणी-ढाणी पहुँचाने पर ही इसका सही उपयोग नागरिकों एवं सरकार में मैत्रीपूर्ण सम्पर्क बनाने में उद्देश्य को सिद्ध करेगा।

अधिनियम के अर्न्तगत बनाये गये नियम

1. सूचना के अधिकार 2005 के अर्न्तगत प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह बिना कोई कारण बताये किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से, सूचना प्राप्त करें। इस हेतु राजस्थान सरकार ने अधिनियम की धारा 27 के अर्न्तगत दिनांक 12.10.2005 को परिपत्र जारी कर नियम बनाये जो दिनांक 13.10.2005 को राजपत्र में प्रकाशित होकर प्रभावी हुए।
2. नियम में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति नियम 6 के तहत किसी प्रकार की सूचना चाहता है अथवा रिकॉर्ड का निरीक्षण करना चाहता है तो वह उस हेतु निर्धारित शुल्क की अदायगी कर निर्धारित प्रपत्र पर सम्बन्धित सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा नामित लोक सूचना अधिकारी को आवेदन करेगा। राशि नगद में अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंक चैक या भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा देय होगी। शुल्क का निर्धारण निम्नलिखित रूप से है :-

क्रमांक	सूचना विवरण	कीमत / शुल्क
धारा 6 (1)	आवेदन सहित	रु. 10/- प्रति आवेदन पत्र
धारा 7 (1)	(क) बनाये/नकल दिये गये	रु. 2/- प्रति पृष्ठ
	(ख) बड़े आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि हेतु	प्रतिलिपि का वास्तविक लागत/प्रभार
	(ग) सेम्पल या मॉडल के लिए	वास्तविक लागत या कीमत
	(घ) अभिलेखों के निरीक्षण हेतु	एक घण्टे के पश्चात् प्रत्येक पन्द्रह मिनट या उसके भाग पर रु. 5/-

अधिनियम की धारा 2(e) में राज्यपाल, विधानसभा एवं उच्च न्यायालय को सक्षम प्राधिकारी के रूप में परिभाषित किया गया है और धारा 28 के अनुसार उन्हें भी स्वयं के नियम बनाने के लिये सशक्त किया गया है। महामहिम राज्यपाल और राजस्थान विधानसभा ने राज्य सरकार द्वारा प्रसारित नियमों को ही अपना लिया है। परन्तु राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान सूचना का अधिकार (उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय) नियम, 2006 बनाये है, जिसके अनुसार आवेदन का प्रारूप निर्धारित कर दिया गया है। आवेदन शुल्क रु0 100/- रखी गई है, जो नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प

के रूप में देय है। इसी प्रकार प्रथम अपील का भी रू० 100/- शुल्क निर्धारित किया गया है। प्रमाणित छाया प्रतियों भी राजस्थान उच्च न्यायालय नियम अथवा जनरल रूल्स (सिविल), 1986 में प्रावधित शुल्क देकर ली जा सकती है।

3. नियम 6 व 7 में आयोग को की जाने वाली अपील हेतु दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्र, उसके साथ लगाये जाने वाले प्रपत्र का ब्यौरा दिया गया है, जबकि नियम 7 में सुनवाई की प्रक्रिया विस्तार से दी गई है।
4. निर्धारित पत्र में याचिकाकर्ता तथा उस सार्वजनिक सूचना अधिकारी का नाम और पता होना चाहिए, जिसके विरुद्ध याचिका की गई है। साथ ही उसमें संक्षिप्त रूप से सम्बन्धित आदेश का ब्यौरा व तथ्यों का उल्लेख किया जावेगा। याचिका यदि अस्वीकृत मान लेने के उपलक्ष में दायर की जा रही हो तो आवेदन पत्र के मसौदे में संख्या, तिथि व उस सार्वजनिक सूचना अधिकारी का नाम व पता जिसे आवेदन किया गया था, का उल्लेख प्रार्थी द्वारा शामिल किया जाना होगा। याचिकाकर्ता को माँगी गई राहत का स्पष्ट उल्लेख करना होगा तथा साथ ही राहत हेतु आधार को भी बताना होगा।
5. नियम 6 के अन्तर्गत अपील के प्रार्थना-पत्र के साथ ही जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, उसकी सत्यापित प्रति व जिन दस्तावेजों पर प्रकरण आधारित है, उनकी प्रतियाँ भी लगानी होगी।
6. अपील के विनिश्चय हेतु आयोग अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र पर दिये लिखित साक्ष्य पर विचार के साथ ही सम्बन्धित दस्तावेजों और अभिलेखों का परिशीलन करेगा। आयोग चाहे तो वह प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से अतिरिक्त तथ्यों की भी जाँच कर सकेगा। नियमों में यह भी प्रावधित है कि आयोग उस अधिकारी की भी सुनवाई करेगा, जिसने प्रथम अपील का निर्णय किया है तथा जिसके विरुद्ध वर्तमान अपील दायर हुई है। नियमों में यह भी व्यवस्था की गई है कि प्रकरण के निर्णय हेतु आयोग चाहे तो किसी अन्य व्यक्ति से भी शपथ-पत्र के माध्यम से साक्ष्य प्राप्त कर सकेगा।

नियमों के समापन पर यह भी निर्देशित है कि अपील पर साक्ष्य तथा सुनवाई खुले में होगी, आदेश लिखित में होगा तथा उसे खुले में सुनाया जावेगा।

यह सभी बातें स्पष्ट करती है कि अपील की सुनवाई की प्रक्रिया एक खुले न्यायालय की भाँति पूर्णतया पारदर्शक व न्यायानुकूल होगी।

राजस्थान सूचना आयोग का गठन, संगठनात्मक ढांचा, बजट व अन्य सूचनाएं


(अ) गठन :-

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत राजस्थान सूचना आयोग का गठन किया गया है। आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त व आवश्यकतानुसार (अधिकतम दस) सूचना आयुक्त नियुक्त हो सकते हैं। राजस्थान सूचना आयोग का गठन दिनांक 13.04.06 को किया जाकर राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है। राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप श्री एम.डी. कौरानी को दिनांक 18.04.2006 को महामहिम राज्यपाल ने पद की शपथ दिलाई। आयोग एक वैधानिक निकाय है, जो कि पूर्णतया स्वायत्तशापी है तथा जिसे अपने कार्यों के निष्पादन में किसी अन्य प्राधिकरण से निर्देश प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय जयपुर में है।

आयोग अभी बहुत अल्प व प्रारम्भिक दौर में है व न्यूनतम प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित कर पाया है जो कि निम्न प्रकार है:-

(ब) संगठनात्मक ढांचा:-

राजस्थान सूचना आयोग



(स) आयोग के कार्य व शक्तियाँ :-

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18,19 एवं 20 में सूचना आयोग के कृत्य एवं शक्तियों का वर्णन है। आयोग नागरिकों से प्राप्त परिवादों की जाँच कर उनको निष्पादन करने, अपील में बतौर अपील अधिकारी निर्णय देने, दोषी अधिकारियों को दण्डित करने के साथ-साथ अधिनियम की कुशल क्रियान्विति के लिये लोक प्राधिकरणों को आवश्यक निर्देश दे सकता है। आयोग के द्वारा अपील/परिवाद पर दिये निर्देश बाध्यकारी हैं। आयोग अधिनियम के क्रियान्वयन की वार्षिक रिपोर्ट भी राज्य सरकार को प्रेषित करता है जिसे सरकार विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करती है। राज्य सूचना आयोग में निहित शक्तियों का वर्णन निम्न शीर्षक के अन्तर्गत किया जा सकता है :-

(1) परिवाद संबंधी शक्तियाँ :- आयोग के समक्ष नागरिक निम्नलिखित बिन्दुओं पर परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं -

- (क) राज्य के राज्य लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने के कारण वह आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सका है या सहायक लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी ने उसकी आवेदन सूचना/अपील मीमों को अग्रेषित करने के लिये लेने से इंकार कर दिया है।
- (ख) लोक सूचना अधिकारी ने उसे आवेदित सूचना देने से मना कर दिया है।
- (ग) लोक सूचना अधिकारी से आवेदित सूचना के बारे में निर्धारित समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
- (घ) लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसमें मांगा जा रहा शुल्क तर्क संगत नहीं है।
- (ङ) लोक सूचना अधिकारी को दी गई सूचना अधूरी, भ्रामक या मिथ्या लगती है।
- (च) कानून में सूचना प्राप्ति से संबंधित कोई अन्य प्रकरण। धारा 18(1)

राज्य सूचना आयोग में परिवाद की जांच करते समय दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ निहित होने के कारण सुनवाई प्रक्रिया के दौरान निम्न कार्यवाही करने में सक्षम है।

- (क) किसी व्यक्ति को बुलाना और उसके उपस्थित होने के लिये बाध्य करना, उसे मौखिक या लिखित शपथ साक्ष्य देने और दस्तावेज या अन्य वस्तु प्रस्तुत करने के लिये विवश करना;
- (ख) किसी दस्तावेज की तलाशी और निरीक्षण करना;
- (ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य लेना;
- (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख या प्रतिलिपियाँ मंगवाना;

- (ड़) साक्षियों अथवा दस्तावेजात के परीक्षण के लिये सम्मन जारी करना; और
- (च) अन्य निर्धारित प्रकरण ।

राज्य सूचना आयोग किसी परिवाद की जाँच में लोक प्राधिकरण के नियन्त्रण वाले समस्त अभिलेखों का परीक्षण कर सकता है । किसी भी आधार पर कोई अभिलेख छिपाया नहीं जा सकता, चाहे वह प्रकटीकरण से छूट दी गई श्रेणी में ही सम्मिलित क्यों न हो ।

(2) अपीलीय शक्तियाँ :-

अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत अपील अधिकारी के द्वारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध दूसरी अपील सुनने का अधिकार धारा 19(3) के अंतर्गत सूचना आयोग को प्राप्त है ।

सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रथम अपील आदेश के पारित होने या आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 90 दिवस में की जा सकती है । इस अवधि के गुजरने के बाद भी यदि सूचना आयोग अपीलार्थी के द्वारा बताये विलम्ब के कारण से संतुष्ट है तो अपील सुनवाई हेतु दर्ज कर सकता है ।

अपील में सुनवाई की कार्यवाही के दौरान जिस लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई की जा रही है आवेदन की अस्वीकृति के औचित्य में प्रमाणीकरण का भार संबंधित लोक सूचना अधिकारी का होगा ।

धारा 19(7) के तहत सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा ।

(3) शास्ति आरोपण की शक्तियाँ :-

परिवादों की जाँच के बाद निष्पादन तथा अपील में दिये निर्णय के अन्तर्गत सूचना आयोग को शास्तियाँ आरोपित करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं । अपील का निर्णय करते समय यदि संबंधित सूचना आयोग की यह धारणा बनती है कि लोक सूचना अधिकारी ने बिना समुचित कारण

- (क) सूचना आवेदन लेने से मना कर दिया है, या
- (ख) निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, या
- (ग) सूचना आवेदन को बदनियती से अस्वीकार कर दिया है, या
- (घ) जान-बूझकर अशुद्ध, अधूरी या भ्रामक सूचना उपलब्ध कराई है, या
- (ड़) सूचना आवेदन की विषय-वस्तु को नष्ट कर दिया है, या
- (च) सूचना उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की बाधा डाली है,

तो वह उस पर आवेदन प्राप्त से सूचना उपलब्ध कराने तक रूपये 250 /- प्रतिदिन की दर से शास्ति आरोपित कर सकता है जो अधिकतम रूपये 25000 /- हो सकती है।

शास्ति आरोपित करने से पूर्व आयोग लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

इसके अतिरिक्त लोक सूचना अधिकारी पर यह साबित करने का भार होगा कि उसने सूचना उपलब्ध कराने के लिये विवेक एवं परिश्रम से कार्य किया था।

यदि संबंधित सूचना आयोग की, शिकायत या अपील का निर्णय करते समय यह धारणा बनती है तो वह लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध सुसंगत सेवा नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा कर सकता है।

(4) अधिनियम की क्रियान्वयन सुनिश्चिति :-

अधिनियम की धारा 19(8) के अन्तर्गत अपील का निर्णय करते समय सूचना आयोग अधिनियम की क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु लोक प्राधिकरण को निम्न निर्देश दे सकता है:-

- (1) विशिष्ट रूप में सूचना उपलब्ध करवाने बाबत।
- (2) लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति करने के संबंध में।
- (3) कतिपय सूचना या श्रेणीवार सूचना प्रकाशित करवाने के संबंध में।
- (4) अभिलेखों के प्रबन्धन, संधारण, नष्टीकरण की प्रयुक्त प्रथाओं में यथासम्भव परिवर्तन करवाने के संबंध में।
- (5) लोक प्राधिकरण के कर्मचारियों / अधिकारियों के लिये सूचना के अधिकार की प्रशिक्षण व्यवस्था करवाने के संबंध में।
- (6) उससे अधिनियम की पालना के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन मंगवाने के संबंध में। धारा 19(8)(ए)
- (7) सूचना आयोग अपीलार्थी को हुई हानि या क्षति की पूर्ति लोक प्राधिकरण से करवाने के निर्देश जारी कर सकता है। धारा 19(8)(ख)

अधिनियम की धारा 25(1) के अन्तर्गत उसे अधिनियम के क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण का अधिकार प्राप्त है। यह वर्ष की समाप्ति पर प्रति वर्ष अधिनियम के क्रियान्वयन का प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। सरकार उक्त रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखती है। प्रतिवेदन में सामान्यतः निम्न बिन्दुओं पर सूचना प्रस्तुत की जाती है:-

- (1) प्रत्येक लोक प्राधिकरण के द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या

- (2) निरस्त किये आवेदनों की संख्या
- (3) अपीलों की संख्या एवं उनके परिणाम
- (4) अधिकारियों के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही का विवरण
- (5) एकत्रित शुल्क की धन राशि
- (6) अधिनियम की भावना या आशय के प्रबंधन एवं क्रियान्वयन के लिये लोक प्राधिकरण द्वारा किये गये प्रयत्नों का विवरण
- (7) सुधार के लिये सुझाव

यदि किसी लोक प्राधिकरण के द्वारा अधिनियम में प्रदत्त दायित्वों के निर्वहन करते समय कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो अधिनियम के प्रावधानों या भावना से सुसंगत नहीं है तो वह अधिनियम की धारा 25(5) के तहत प्राधिकरण को ऐसे कदम उठाने की अभिशंषा कर सकता है जो उसकी दृष्टि में उन्हे सुसंगत बनाने में सहयोग करें।

(5) बजट :-

आयोग के वर्ष 2009—2010 के लिये 89.54 लाख रुपये “ग्रान्ट इन एड” के रूप में आवंटन किया गया है। जिसमें से 80.07 लाख रुपये का व्यय किया गया है।

(6) कार्यालय :-

आयोग का कार्यालय गठन से अक्टूबर, 06 तक योजना भवन में कार्यरत था तथा नवम्बर, 06 से हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (OTS) में एक आवासीय बंगले में कार्य कर रहा है। राज्य सरकार से समुचित कार्यालय भवन के आवंटन हेतु अनुरोध किया जा चुका है।

(7) नियमावली :-

आयोग ने अपनी स्वयं की “मैनेजमेन्ट” नियमावली बना ली है।


(8) क्रियान्विति :-

राज्य सूचना आयोग ने अपनी ओर से भी अधिनियम की धाराएँ 18 से 20 व धारा 25 के अर्न्तगत प्रभावी कार्यवाही की व आवश्यक कदम उठाये। स्थापना से लगभग तीन वर्ष की इस अवधि में पूरे राज्य में लोक अधिकरणों की स्थापना व उन्हे अधिनियम की भावना के अनुरूप जागृत व कार्यरत करने में सफलता प्राप्त हुई, साथ ही उन्होने स्वयं खुद अपनी संस्था की स्थापना, उसके कार्यकलापों व उसके प्रभावी अस्तित्व की वस्तुस्थिति को

जन-जन तक पहुँचाया। इसी प्रभावशाली प्रचार-प्रसार का ही परिणाम रहा कि आज पूरे राज्य में ही पुकार है :- “ सूचना का अधिकार ”, एक ही माँग है कि “मैं सूचना प्राप्त करने का अधिकारी हूँ।” परिणामस्वरूप वर्ष 2009-2010 में “ सूचना के अधिकार” को लेकर आयोग के सम्मुख प्रस्तुत परिवादों व अपीलो पर उठाये गये कदमों की वस्तुस्थिति निम्न प्रकार से है। वर्ष के प्रारम्भ में 284 परिवाद लम्बित थे तथा वर्ष में 465 परिवाद पंजीकृत किये गए जिनमें से 551 परिवादों का निस्तारण किया गया एवं वर्ष के अंत में 198 परिवाद लम्बित रहे, जिसका मासिक विस्तृत विवरण निम्नलिखित रूप से है :-


परिवादों की प्रगति की विवरणिका

अवधि	अवधि के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	अवधि के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	संचयी प्रभाव से शेष शिकायतों की संख्या
अप्रैल, 2009	24	38	270
मई, 2009	2	30	242
जून, 2009	23	78	187
जुलाई, 2009	46	48	185
अगस्त, 2009	41	22	204
सितम्बर, 2009	39	32	211
अक्टूबर, 2009	66	43	234
नवम्बर, 2009	42	37	239
दिसम्बर, 2009	50	75	214
जनवरी, 2010	30	41	203
फरवरी, 2010	49	65	187
मार्च, 2010	53	42	198
योग	465	551	198



Received Disposal

Progress of Complaints



◆ Received ■ Disposal

Progress of Complaints

अपील


वर्ष 2009–2010 के प्रारम्भ में 1425 अपीलें लम्बित थीं तथा वर्ष में 4234 अपीलें पंजीकृत की गईं जिनमें से 2889 अपीलों का निस्तारण किया गया तथा वर्ष के अन्त में 2770 अपीलें लम्बित रहीं, जिनका मासिक विवरण निम्नलिखित रूप से है।

अपील की प्रगति की विवरणिका

अवधि	अवधि के दौरान प्राप्त अपीलों की संख्या	अवधि के दौरान निस्तारित अपीलों की संख्या	संचयी प्रभाव से शेष अपीलों की संख्या
अप्रैल, 2009	189	177	1437
मई, 2009	295	173	1559
जून, 2009	344	241	1662
जुलाई, 2009	357	268	1751
अगस्त, 2009	246	223	1774
सितम्बर, 2009	345	244	1875
अक्टूबर, 2009	422	288	2009
नवम्बर, 2009	388	196	2201
दिसम्बर, 2009	445	237	2409
जनवरी, 2010	372	243	2538
फरवरी, 2010	417	248	2707
मार्च, 2010	414	351	2770
योग	4234	2889	2770



Progress of Appeals



◆ Received ■ Disposal

Progress of Appeals

(9). लोक सूचना अधिकारी :- पदनामित व प्रशिक्षण

राज्य के सभी प्रशासनिक विभागों को अपने अपने लोक सूचना अधिकारियों व अपील प्राधिकारियों को पदनामित करने के निर्देश दिये गये। प्राप्त सूचना के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रायः सभी विभागों/कार्यालयों ने अपने यहाँ इस स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति आदेश कर दिये हैं।

इन अधिकारियों को ही नहीं, बल्कि स्वायत्तशासी संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं, ग्राम पंचायतों के पंचों/सरपंचों/ पंचायत समितियों के प्रधानों आदि के प्रशिक्षण हेतु भी समुचित आदेश प्रदान किये गये।

परिणामस्वरूप आज यह आवश्यक हो गया है कि जहाँ कहीं कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम हो, वहाँ "सूचना के अधिकार" कानून के विषय को प्रशिक्षण का भाग बनाया है। इस आदेश की व्यापक रूप से क्रियान्विति हो रही है। प्रशिक्षण के मुख्य केन्द्र एच.सी.एम.रीपा, (H.C.M. RIPA) इन्दिरा गाँधी पंचायती राज संस्थान, राइसैम व Institute of Local Bodies हैं, जो विकेन्द्रीकृत रूप से भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं।

(10). विशेष निर्णय :-

वर्ष 2009-10 में आयोग के समक्ष कुल 4234 अपीलें प्रस्तुत हुईं, जिनका माहवारी वर्णन ऊपर दर्शाया गया है। आयोग ने इस वर्ष 2889 अपीलें निर्णित की।

निर्णयों में दिये गये कुछ नीतिगत बिन्दु निम्नलिखित रूप से हैं :-

आयोग द्वारा वर्ष 2009-2010 के आलोच्य काल में लोक प्राधिकरण एवं राज्य लोक सूचना अधिकारियों के मध्य आवेदन अन्तरण के संबंध में निर्णय देकर कतिपय सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं। श्री प्रकाश शुक्ल बनाम आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल अपील संख्या 1615/09 में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) की व्याख्या करते हुये लिखा है कि यद्यपि धारा 6 (3) के अनुसार "अन्य लोक प्राधिकरण" का उल्लेख है परन्तु एक ही लोक प्राधिकरण में अनेक राज्य लोक सूचना अधिकारी अभिहित होने पर भी लोक प्राधिकरण के एक राज्य लोक सूचना अधिकारी अन्य राज्य लोक सूचना अधिकारी को आवेदन अन्तरित कर सकते हैं।

इसी प्रकार अपील संख्या 748/09 डॉ योगेश कुमार बनाम सचिव, मूथा एज्यूकेशनल सोसायटी प्रकरण में लोक प्राधिकरण के संबंध में यह व्याख्या की है कि यदि कोई निकाय राजस्थान सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत हो और उसे कोई शासकीय अनुदान न मिलता हो तो उसे शासन के नियंत्राधीन नहीं माना जा सकता और न ही ऐसी समिति लोक प्राधिकरण की परिभाषा में आती है।

इसी काल में यह भी निरूपित किया गया है कि यदि सूचना के पेटे दिये जाने वाले पत्रादि के शुल्क की मांग आवेदन के 30 दिवस की अवधि में की जाती है तो वह पूर्णतया: विधिक प्रावधानों के अनुरूप प्रदत्त सूचना निर्धारित अवधि में प्रदत्त माने जावेंगे।

(11). आलोच्य वर्ष में निस्तारित अपीलों के आधार पर विभागवार स्थिति

	वर्ष 2009–2010 में कुल निस्तारित अपील	2889	
	विभागों के विरुद्ध अपील	1820	63%
	पंचायतीराज के विरुद्ध अपील	214	7 %
	स्थानीय निकायों के विरुद्ध अपील	533	19%
	सार्वजनिक उपक्रम के विरुद्ध अपील	304	11%
क	विभागों के विरुद्ध अपीलों का प्रतिशत		
	1. शिक्षा विभाग	27 %	
	2. कलक्टर्स	11%	
	3. विश्वविद्यालय	5%	
	4. चिकित्सा विभाग	6%	
	5. पुलिस विभाग	8%	
	6. राजस्थान लोक सेवा आयोग	2%	
	7. स्वायत्त शासन विभाग	2%	
	8. सहकारिता विभाग	2%	
	9. जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	3%	
	10. कार्मिक विभाग	2%	
	11. उद्योग विभाग	2%	
	7. अन्य विभाग	30%	
ख	पंचायतीराज संस्थाओं के विरुद्ध अपीलों का प्रतिशत		
	1. ग्राम पंचायत	51 %	
	2. विकास अधिकारी	33%	
	3. जिला परिषद	16%	
ग	स्थानीय निकाय के विरुद्ध अपीलों का प्रतिशत		
	1. जयपुर विकास प्राधिकरण	26%	
	2. जोधपुर विकास प्राधिकरण	03%	
	3. नगर निगम	28%	
	4. नगर विकास न्यास	12%	
	5. नगर परिषद	12%	
	6. नगर पालिका	19%	

घ	सार्वजनिक उपक्रम के विरुद्ध अपीलों का प्रतिशत	
	1. विद्युत वितरण निगम	33%
	2. आवासन मण्डल	13%
	3. सहकारी संस्थायें	7%
	4. सहकारी बैंक	4%
	5. कृषि उपज मण्डी	1%
	6. राज. राज्य पथ परिवहन निगम लि.	6%
	7. रीको	14%
	8. अन्य	22%

12. शास्ति एवं क्षतिपूर्ति :

आयोग द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में लोक सूचना अधिकारियों द्वारा अधिनियम की भावना के अनुरूप कार्यवाही न करने पर आलोच्य वर्ष 2009-2010 में 147 अपीलें/परिवादों में कुल 16,73,000/-रु. की शास्ति आरोपित की गई जिसमें से आलोच्य वर्ष में 8,38,000/-रु. जमा कराये जा चुके हैं। इसी प्रकार 43,000/-रु. की क्षतिपूर्ति के आदेश प्रदान किये गये जिसमें से 38,000/-रु. का सम्बन्धित अपीलार्थियों/परिवादियों को भुगतान किया गया।

आरोपित शास्ति एवं लगाई गई क्षतिपूर्ति का सारणीयन निम्नानुसार है :-

विवरण	शास्ति (रूपयों में)		क्षतिपूर्ति (रूपयों में)	
	आरोपित	जमा राशि	लगाई गई	भुगतान किया गया
1	2	3	4	5
अपील / परिवाद	16,73,000	8,38,000	43,000	38,000

अधिनियम का क्रियान्वयन

वर्ष 2005 में बने “सूचना का अधिकार अधिनियम” के सम्पूर्ण देश में लागू हो जाने पर, राजस्थान ने अपने तत्सम्बन्धी नियम दिनांक 13.10.2005 को प्रकाशित कर इसे प्रभावी बनाया। राजस्थान सूचना आयोग का गठन दिनांक 13.04.2006 को हुआ तथा दिनांक 18.04.2006 को प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री एम.डी.कौरानी ने पदभार संभाला। आयोग की प्रशासनिक व्यवस्था हेतु रजिस्ट्रार, सचिव व प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति व मुख्यालय पर पदस्थापन हुआ। प्रशासनिक विभाग की समुचित व्यवस्था, परिवादों व अपीलों की प्राप्ति, सुनवाई व निर्णय प्रक्रिया के साथ ही लेखों का उचित निर्धारण व अन्य व्यवस्थायें आवश्यकतानुसार प्रारम्भ की गईं। कार्यालय हेतु हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान में अन्तरिम व्यवस्था की गई। बजट आवंटन, उपलब्धि व उपयोग नियमानुसार परिचालित है। आयोग ने अपने न्यायिक कार्यों/प्रक्रियाओं हेतु अपने “रेगुलेशन्स” बनाए हैं जिन्हें राजपत्र में प्रकाशित करवाया है।

राज्य सरकार व राज्य आयोग के प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य मुख्यालय में सचिवालय स्तर पर सचिवों/प्रमुख शासन सचिवों को अपने-अपने विभागों हेतु राज्य लोक सूचनाधिकारी नियुक्त किया जा चुका है तथा साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिव को उन पर अपील अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। विभिन्न राजकीय विभागों हेतु भी लोक सूचना अधिकारीगणों व उनके अपीलेट अधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है। निगमों, मण्डलों व स्वायत्तशासी संस्थाओं हेतु वहां के महाप्रबन्धकों/प्रबन्धकों/सचिवों/निदेशकों को राज्य लोक सूचना अधिकारी बनाया गया है, उनके अध्यक्षों/प्रबन्ध निदेशकों/प्रशासकों को अपील अधिकारी बनाया गया है। नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों हेतु वहां के अधिशाषी अधिकारी/आयुक्तगण लोक सूचना अधिकारी हैं, तो वहां के अध्यक्ष/महापौर/सभापति अपील अधिकारी हैं। इसी प्रकार पंचायतों/समितियों/जिला परिषदों हेतु वहां के सचिव/विकास अधिकारीगण लोक सूचना अधिकारी हैं, तो सरपंच/प्रधान/जिला प्रमुख अपील अधिकारी हैं। सहकारी बैंकों, सांस्कृतिक केन्द्रों, प्रशिक्षण केन्द्रों, शोध संस्थानों, राजकीय उपक्रमों तथा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन पंजीकृत समस्त संस्थाओं हेतु लोक सूचना अधिकारी व अपील अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश प्रसारित किए गए हैं। जहाँ नगरपालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों के स्तर पर यह प्रयास सराहनीय रहा, वहीं आज भी आशा

की जाती है कि हर विभाग अपनी-अपनी स्थिति के अनुरूप एक सीमा रेखा (Cutting Edge Level) अंकित करेगा, जहाँ तक उसका प्रतिनिधि " लोक सूचना अधिकारी " उपलब्ध होकर, सूचना हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त कर, सूचना उपलब्ध करायेगा।

सभी सम्बन्धित अधिकारियों को ये भी निर्देश दिये गये हैं कि वे अपना नाम-पट्ट ऐसी मुख्य जगहों पर प्रदर्शित करें कि हर नागरिक को यह ज्ञान हो सके कि उसे कहां और किससे इस अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करना है। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने रिकार्ड को आदिनांक बनाकर उसका स्वयमेव प्रकाशन करावें व वेबसाइट पर दें, ताकि सूचना चाहने वाले को कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े। कई विभाग, जैसे-शिक्षा, ग्रामीण विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, संस्कृत विभाग व कुछ अन्य ने अत्यन्त विस्तृत पुस्तिकायें भी तैयार कर प्रसारित की हैं, जो उनके विभाग के बारे में जनता को व्यापक सूचना उपलब्ध कराती है। धारा 4 के अर्न्तगत ऐसा प्रकाशन आवश्यक है। ज्यादातर विभागो ने इस नियम की अनुपालना की है। कई विभागों को यह नहीं मालूम कि उनके अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारीगण राजकीय निर्देशानुसार "सूचना के अधिकार अधिनियम" की आवश्यकताओं/व्यवस्थाओं हेतु प्रशिक्षित भी हुए अथवा नहीं, जिस हेतु उनके स्वयं के नीति निर्देश है। उनके लिये नियमित रूप से यह भी आवश्यक है कि वे जाने कि उनके विभाग में समय-समय पर कितने परिवाद/अपील आये, कितने निर्णित हुए व कितने समयावधि निकल जाने के पश्चात् भी लम्बित हैं। यह जिम्मेवारी सचिव/विभागाध्यक्ष स्तर पर ही ली जानी होगी, नीचे के किसी अधिकारी पर इस विषयक निर्भरता व्यावहारिक नहीं होगी।

राज्य सरकार के विभिन्न लोक प्राधिकारियों से प्राप्त प्रार्थना पत्र, अपील व उनके निस्तारण की स्थिति परिशिष्ट - 1 पर है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) में यह अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को सम्यक् रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कम्प्यूटरीकृत किए जाने को लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध हैं जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुँच को सुकर बनाया जा सके।

धारा 4(1) ख लोक प्राधिकरणों से व्यापक किस्म की सूचनाओं को स्वयं ऐच्छिक रूप से प्रकाशन की मांग करता है, भले ही किसी से विशिष्ट तौर पर उन सूचनाओं के लिए निवेदन ना किया हो। आयोग द्वारा इसकी क्रियान्विति हेतु एवं प्रकट की गई सूचनाओं में एकरूपता लाने के लिए आयोग द्वारा प्रारूप (templet) बनाकर सभी विभागों को प्रेषित किये एवं इस हेतु सभी लोक प्राधिकरणों की प्रगति की समीक्षा भी की गई है।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर नगर निगम, राजस्थान आवासन मण्डल एवं अन्य विभागों ने इस दिशा में कम्प्यूटरीकृत प्रणालियों से अभिलेखों को समुचित एवं युक्तियुक्त तरीके से रखने के प्रयास किये हैं। जहाँ अधिनियम के तहत सूचनाओं में स्वैच्छिक प्रकरण 120 दिनों के भीतर आवश्यक था वही यह कार्य लोक प्राधिकरणों द्वारा प्रक्रियाधीन है।

सूचना चाहने वाले नागरिकों को लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की जानकारी के लिए सभी जिला कलेक्टरों को अपने जिले की एक निर्देशिका बनाने के लिए निर्देश दिये गये थे एवं कुछ जिलों में यह मामूली कीमत पर देने के लिए तैयार की गई है।

सूचना का अधिकार अधिनियम आने के उपरांत वर्षों से व्याप्त गोपनीयता का तानाबाना लिए अधिकारियों की सोच में परिवर्तन आ रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम आने के पश्चात इस अल्प,समय में प्रार्थना पत्रों के निपटारे, अपीलों के निपटारे से तथा आयोग के समक्ष पेश अपीलों और शिकायतों को देखते हुये कहा जा सकता है कि अधिनियम की क्रियान्विति संतोषजनक है।

संप्रेक्षण

सूचना का अधिकार अधिनियम जून 2005 को जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारतवर्ष में लागू हुआ। इसके पश्चात्, लगभग पांच वर्ष का समय यह अधिनियम देख चुका है। राज्य सूचना आयोग स्तर पर आम नागरिकों, अधिकारीगणों व संस्थाओं के प्रतिनिधिगणों के बीच परिवादों/अपीलों की सुनवाई के दौरान तथा बैठकों व अन्य अवसरों पर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों व इसमें निहित व्यवस्थाओं, कठिनाईयों व समस्याओं पर विचारों का आदान-प्रदान होता रहा है। इन्हीं चर्चाओं के दौरान जो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं, उनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित रूप से है :-

1. यह कि अधिनियम के बारे में आम जनता में सामान्य तौर पर एक सकारात्मक सोच व सापेक्ष अवधारणा है। इसे लेकर जनता में नई अपेक्षाएँ व आशाएँ भी जागी है। जनता इस अधिनियम को उनके व विभिन्न सरकारी विभागों व संगठनों के बीच आने वाली दैनन्दिन समस्याओं के समाधान की एक कड़ी के रूप में देख रही है।
2. समय के साथ-साथ ज्यादा से ज्यादा लोग इस अधिनियम के प्रावधानों के अर्न्तगत सूचनाओं की माँग कर रहे हैं।
3. सूचना चाहने वालों को सामान्यतया इस सीमा तक सूचना प्रदत्त कराई जा रही है, जहाँ तक वह चलित पत्रावलियों में उपलब्ध है, किन्तु जिस सूचना को देने में, पुराने रिकॉर्ड की छानबीन करनी पड़े या फिर अनेकों पत्रावलियों को देखकर उनमें से तथ्य एकत्रित करने की आवश्यकता हो, वहाँ यह पाया जा रहा है कि अधिकारी/कर्मचारीगणों में कुछ अनचाहेपन या टालमटोल की मानसिकता है।
4. वस्तुतः सूचना के अधिकार के विषय में अभी जनता को और जागरूक करने की आवश्यकता है। इस हेतु कुछ अधिक प्रयास करने होंगे और यह आश्वस्त करना होगा कि साधारण जनता इस अधिनियम का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकें व लाभ उठावें। इस दिशा में अब तक राजकीय स्तर पर कोई विशेष प्रयास नहीं किये गये हैं। कुछेक गैर-राजकीय संगठन इस क्षेत्र में अपना योगदान देने हेतु आगे आये हैं, पर उनका प्रभाव क्षेत्र सीमित होने के

कारण उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई है। वस्तुतः यदि इस अधिकार को व्यापक रूप दिया जाना है तो सरकार को इस दिशा में अपनी ओर से भी कुछ प्रभावी कदम उठाने होंगे।

5. राज्य सरकार को इस प्रक्रिया में प्रथमतया हर विभागीय स्तर पर लोक सूचना अधिकारीगण की नियुक्ति के बिन्दु पर आश्वस्त होकर यह देखना होगा कि ऐसा प्रत्येक अधिकारी इस क्षेत्र में पूर्णतया प्रशिक्षित भी हो। चार वर्ष बीत जाने के पश्चात भी अभी हर वांछित स्तर पर लोक सूचना अधिकारी पदाभिहित नहीं हुआ है। उनकी नियुक्ति से लेकर उनका व्यावहारिक रूप से पूर्णतया प्रशिक्षित होना तथा अन्त में उनकी मानसिकता में इस विषय का सापेक्ष रूप से समावेश होना आज की पहली आवश्यकता है।
6. राज्य के अनेकों लोक सूचना अधिकारीगणों तथा ऐसे सभी स्तरों तक, जिनका अधिकार के इस अधिनियम के अर्न्तगत कदम उठाने व कार्यवाही करने से ताल्लुक है, इस अधिनियम सम्बन्धी विधिक पुस्तक/पुस्तिकाएँ, साहित्य व अन्य प्रकाशित सामग्री नहीं पहुँच पाई है, जिसके अभाव में उनका इस विषय का आदिनांक ज्ञान अधूरा सा है। इस हेतु तुरन्त व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
7. यह भी पाया गया है कि अधिनियम के प्रावधानों के अर्न्तगत जिन लोक सूचना अधिकारीगणों से आवश्यक कदम उठाने या कार्यवाही करने की अपेक्षा है, वे इस विषय में स्वयं उचित ध्यान ही नहीं दे रहे। सामान्यतया वे इस कार्य को अपने कार्यालय लिपिकों के भरोसे छोड़ रहे हैं, जिन्हें विषय की विधिक बारीकियों का वह ज्ञान नहीं होता, जिसकी इस प्रकार की अर्द्ध न्यायिक प्रक्रियाओं हेतु आवश्यकता होती है।
8. सूचना के अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत प्रकरण की “ प्रथम अपील ” एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इस विषयक वस्तुस्थिति के अवलोकन पर पाया गया कि “ प्रथम अपील ” के निपटारे की स्थिति कतई सन्तोषप्रद नहीं है। प्रथम अपील सुनने वाले लोक अधिकारीगण अपने यहाँ लम्बित प्रकरणों को या तो निपटा ही नहीं रहे हैं, या फिर यह निपटारा नियमों में निर्धारित समय सीमा के अन्दर नहीं हो रहा है। परिणामस्वरूप प्रार्थीगण मजबूर होकर राज्य आयोग के सम्मुख “ दूसरी अपील ” ले जा रहे हैं, जहाँ इसकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है।
9. राज्य सरकार के स्तर पर अब सूचना का अधिकार अधिनियम हेतु नोडल विभाग का दायित्व प्रशासनिक सुधार विभाग को दिया गया तथा इसके समुचित पर्यवेक्षण व मोनिटरिंग हेतु इस

विभाग में एक डेडीकेटेड सैल भी गठित किया गया है जो कि अधिनियम की क्रियान्विति में आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।

10. अधिनियम की धारा – 4 में यह प्रावधान है कि हर लोक प्राधिकरण न सिर्फ अपने रिकॉर्ड का उचित संधारण करेगा, बल्कि यह भी कि वह उसका स्वैच्छिक रूप में प्रकाशन कर इसे जनता को अवलोकनार्थ उपलब्ध करावेगा। प्रावधान की पालना में अनेकों विभागों ने अपनी “वेबसाईट” पर कुछ सूचनाएँ उपलब्ध कराई हैं, परन्तु अभी तक स्थिति सन्तोषप्रद नहीं है, क्योंकि प्रथम तो आदमी से जुड़ी अनेक बातों का इन ‘ वेबसाईट्स ’ में समावेश नहीं हो पाया है और दूसरे, इन्हें समय समय पर आदिनांक (अपडेट) करने का प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। तीसरे, अनेकों सूचनाओं को निर्धारित छपे हुए रूप में फार्म में प्रकाशित एवं वितरित नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप जो कुछ बन कर तैयार भी हुआ है वह पत्रावलियों के भीतर ही सिमट कर रह गया है, जानकारी हेतु खुले में नहीं आ पाया है।
11. अधिनियम की धारा 2 (ज)घ(ii) में उल्लिखित “गैर सरकारी संगठन” जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सारभूत रूप से सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि द्वारा वित्त पोषित है, वे इसमें प्रावधित व्यवस्थाओं से बंधे हैं। व्यावहारिक रूप में ऐसी अनेकों संस्थाएँ हैं जो सरकारी सहायता प्राप्त कर रही है।
12. यह कि विभागों द्वारा अपने-अपने “ रिकॉर्ड्स ” का सही रख-रखाव न रखे जाने के परिणामस्वरूप चाही गई सूचनाएँ उपलब्ध करा पाना कठिन हो रहा है और इसी बहाने बहुत सारे प्रार्थना-पत्रों पर सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने से इन्कार किया जा रहा है।

जैसे-जैसे समय आगे बढ़ रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम परिपक्वता की धारणा लिए हुए अधिकारी व कर्मचारियों की मानसिकता में परिवर्तन हेतु परिलक्षित हो रहा है एवम् यह अधिकार उन्हें धरातल का अनुभव करा रहा है। जहाँ अधिकारियों की रिकॉर्ड पर पकड़ नहीं है वहाँ अधिकारी / कर्मचारीगण इसके लिए प्रयासरत हैं। भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम में गर्भित उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही व खुलापन में उत्तरोत्तर विकास होगा, जो कि प्रजातन्त्र के मुख्य उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल होगा।

सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन पत्रों की प्राप्ति एवं उनका निस्तारण (वर्ष 2009-10)

प्रपत्र - क

क्र. सं.	विभाग	प्राप्त परिवाद			सूचनाएँ प्रदत्त		अस्वीकृत	शेष	वर्ष 2009-10 में प्राप्त राजस्व
		कुल संख्या	जिला मुख्यालय पर प्राप्त	अन्य	समयावधि में	समयावधि के बाद			
1	सहकारिता विभाग	1567	1499	68	1238	129	54	146	46,450/-
2	विभागीय जॉच विभाग	8	8	-	8	-	-	-	1020/-
3	वित्त विभाग (समन्वय)	3504	2762	742	3220	105	76	103	60,611/-
4	उद्योग विभाग (ग्रुप-1)	1297	428	869	1058	78	108	53	59,050/-
5	जल संसाधन विभाग	111	92	19	101	4	3	3	5192/-
6	विधि एवं न्याय विभाग	367	367	-	295	72	-	-	3650/-
7	स्वायत्त शासन विभाग	525	525	-	310	195	-	20	17,052/-
8	खान एवं पेट्रोलियम विभाग	1722	1152	570	1522	59	39	102	98,272/-
9	पंचायती राज विभाग	209	209	-	205	4	-	-	2,431/-
10	पर्यावरण विभाग	237	184	53	223	4	4	6	11337/-
11	राजस्थान लोक सेवा आयोग	1382	1358	24	482	263	596	41	19,441/-
12	मानवाधिकार आयोग	62	62	-	62	-	-	-	1938/-
13	योजना विभाग	26	25	1	23	2	-	1	534/-
14	सार्वजनिक निर्माण विभाग	1069	844	225	901	113	28	27	62,722/-
15	आपदा प्रबन्धन एवं सहायता	20	20	-	20	-	-	-	190/-
16	ग्रामीण विकास विभाग	44	39	5	44	-	-	-	1,266/-
17	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	11	11	-	9	2	-	-	30/-
18	यातायात विभाग	616	156	460	475	97	39	5	9,667/-
19	जनजाति क्षेत्र विकास	17	17	-	17	-	-	-	244/-
20	राजकीय उपक्रम विभाग	4	4	-	4	-	-	-	75/-
21	राजभवन	86	86	-	84	-	2	-	676/-
22	फैक्ट्रीज एण्ड बॉइलर्स	35	35	-	35	-	-	-	360/-
23	जयपुर विकास प्राधिकरण	5744	4694	1050	5744	-	-	-	8,22,290/-
24	प्रशासनिक सुधार विभाग	224	224	-	224	लेखाधिकारी शासन सचिवालय में जमा कराई गई			
25	सिंचित क्षेत्र, विकास एवं जल उपयोगिता	131	128	3	126	-	-	5	11654/-
26	संस्कृत शिक्षा	409	375	34	382	13	13	1	6,028/-

27	एच.सी.एम. रीपा	13	12	1	13	-	-	-	244/-
28	जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	1332	847	485	875	258	110	89	30,877/-
29	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	391	391	-	361	25	5	-	6,317/-
30	राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल	4	4	-	4	-	-	-	40
31	भू-जल विभाग	26	26	-	13	-	-	13	868/-
32	बाल विकास विभाग	113	15	98	106	7	-	-	0
33	ऊर्जा विभाग	3133	3133	-	2652	273	-	208	85,778/-
34	महिला अधिकारिता विभाग	16	16	-	16	-	-	-	180/-
35	राज. राज्य पथ परिवहन निगम	1218	734	484	967	59	32	160	23,621/-
36	पशुपालन विभाग	234	234	-	103	110	1	20	9,172/-
37	कृषि विभाग/उद्यान विभाग	711	686	25	686	18	6	1	35,365/-
38	गृह विभाग	9386	7390	1996	8478	108	523	277	2,17,670/-
39	राजस्व एवं उपनिवेशन	739	550	189	552	128	32	27	17,076/-
40	देवस्थान विभाग	474	412	62	439	22	13	-	16,793/-
41	जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग	19	19	-	19	-	-	-	536/-
42	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	282	282	-	272	10	-	-	3,820/-
43	इन्दिरा ग्रंथी नहर मण्डल	72	72	-	63	-	-	9	0
44	मुद्रण एवं लेखन	65	65	-	60	3	-	2	3,551/-
45	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार	8	8	-	8	-	-	-	122/-
46	एन.आर.एच.एम.	100	100	-	75	25	-	-	1,112/-
47	मुख्य सचिव कार्यालय	750	750	-	750	लेखाधिकारी शासन सचिवालय में जमा करा गई			
48	पर्यटन विभाग	56	53	3	54	2	-	-	5,756/-
49	कृषि विश्वविद्यालय	66	56	10	46	-	20	-	1,569/-
50	उद्योग विभाग (ग्रुप-2)	503	224	279	459	19	20	5	7,270/-
51	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	3339	2802	537	2288	235	366	450	38,887/-
52	विद्युत विभाग	3133	3133	0	2652	273	0	208	85778/-
	कुल योग	45610	37318	8292	38823	2715	2090	1982	1834582

अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील एवं उनका निस्तारण (वर्ष 2009–10)

प्रपत्र –ख

क्र.सं.	विभाग	कुल योग	निर्णित		
			स्वीकृत	अस्वीकृत	लम्बित
1	सहकारिता विभाग	61	61	0	0
2	विभागीय जाँच विभाग	0	0	0	0
3	वित्त विभाग (समन्वय)	100	76	20	4
4	उद्योग विभाग (ग्रुप-1)	141	103	33	5
5	जल संसाधन विभाग	0	0	0	0
6	स्वायत्त शासन विभाग	95	95	0	0
7	खान एवं पेट्रोलियम विभाग	21	20	0	1
8	पंचायती राज विभाग	6	0	6	0
9	पर्यावरण विभाग	20	0	20	0
10	राजस्थान लोक सेवा आयोग	224	47	161	16
11	मानवाधिकार आयोग	3	0	3	0
12	योजना विभाग	2	2	0	0
13	सार्वजनिक निर्माण विभाग	79	69	9	1
14	आपदा प्रबन्धन एवं सहायता	1	0	1	0
15	ग्रामीण विकास विभाग	1	1	0	0
16	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	2	0	2	0
17	यातायात विभाग	109	106	1	2
18	जनजाति क्षेत्र विकास	0	0	0	0
19	राजकीय उपक्रम विभाग	1	1	0	0
20	राजभवन	5	4	1	0
21	फैक्ट्रीज एण्ड बॉइलर्स	0	0	0	0
22	जयपुर विकास प्राधिकरण	1050	419	631	0
23	प्रशासनिक सुधार विभाग	0	0	0	0
24	सिंचित क्षेत्र, विकास एवं जल उपयोगिता	2	2	0	0
25	संस्कृत शिक्षा	13	10	3	0
26	एच.सी.एम. रीपा	2	2	0	0
27	जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	138	98	6	34

28	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	2	2	0	0
29	राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल	0	0	0	0
30	भू-जल विभाग	1	0	0	1
31	बाल विकास विभाग	7	7	0	0
32	ऊर्जा विभाग	251	232	19	0
33	महिला विभाग (अधिकारिता)	0	0	0	0
34	राज. राज्य पथ परिवहन निगम	75	34	29	12
35	पशुपालन विभाग	8	5	0	3
36	कृषि विभाग / उद्यान विभाग	47	24	21	2
37	गृह विभाग	458	189	266	3
38	राजस्व एवं उपनिवेशन	95	52	42	1
39	देवस्थान विभाग	37	6	31	0
40	जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग	0	0	0	0
41	चिकित्सा शिक्षा विभाग				
42	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	9	6	3	0
43	इन्दिरा गांधी नहर मण्डल	0	0	0	0
44	मुद्रण एवं लेखन	0	0	0	0
45	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार	0	0	0	0
46	एन.आर.एच.एम.	4	4	0	0
47	मुख्य सचिव कार्यालय	557	556	0	1
48	पर्यटन विभाग	0	0	0	0
49	कृषि विश्वविद्यालय	21	0	21	0
50	उद्योग विभाग (ग्रुप-2)	24	16	3	5
51	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	233	142	63	28
52	विद्युत विभाग	251	232	0	19
	योग	4156	2623	1395	138

शेष लोक प्राधिकरणों से सूचनायें प्राप्त नहीं हुई है

क्र. सं.	विभाग	प्राप्त परिवाद			सूचनाएँ प्रदत्त		अस्वीकृत	शेष	वर्ष 2009-10 में प्राप्त राजस्व
		कुल संख्या	जिला मुख्यालय पर प्राप्त	अन्य	समयावधि १५	समयावधि के बाद			
1	चुनाव विभाग								
2	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग								
3	सामान्य प्रशासन								
4	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग								
5	कार्मिक विभाग								
6	जन सम्पर्क विभाग								
7	आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग								
8	उच्च शिक्षा								
9	खेल एवं युवा मामले								
10	राजस्थान आवासन मण्डल								
11	राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड								
12	कला एवं संस्कृति, नागरिक उड्यन								
13	आर.एस.आर.डी.सी.								
14	कृषि (आदान)								
15	रोजगार सेवा निदेशालय								
16	वन विभाग								
17	मन्त्रीमण्डल सचिवालय								
18	सामाजिक सुरक्षा एवं निशक्तजन								
19	नगरीय विकास विभाग								
20	चिकित्सा शिक्षा विभाग								
21	माध्यमिक शिक्षा विभाग								